भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4213
दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 को उत्तर के लिए

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आंगनवाड़ी केन्द्र

4213. श्री मारगनी भरतः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्रों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्रों की तुलना में संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) आंगनवाड़ियों को सहायता प्रदान करने, उनकी वेतन वृद्धि और उन्हें सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) : आंगनवाड़ी सेवाओं (अम्ब्रैला समेकित बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) स्कीमों के तहत) आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना के लिए विगत पांच वर्षों के दौरान कोई भी आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत नहीं किया गया है ।

(ख) : आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में विगत पांच वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष के दौरान संस्वीकृत केन्द्रों के प्रति कार्यशील हुए आंगनवाड़ी केन्द्रों का ब्योरा इस प्रकार है :

| वर्ष | आंध्र प्रदेश | | तेलंगाना | |
|---|---|---|---|---|
| | स्वीकृत | कार्यशील | स्वीकृत | कार्यशील |
| 2014-15 | 55607 | 55574 | 35700 | 35353 |
| 2015-16 | 55607 | 55599 | 35700 | 35621 |
| 2016-17 | 55607 | 55605 | 35700 | 35634 |
| 2017-18 | 55607 | 55606 | 35700 | 35634 |
| 2018-19 | 55607 | 55607 | 35700 | 35634 |
| 2019-20 | 55607 | 55607 | 35700 | 35634 |

(ग) : भारत सरकार ने हाल ही में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्ल्यूडब्ल्यू) का मानदेय 3000 रूपये से बढ़ाकर 4500 रूपये प्रति माह; लघु आंगनवाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय 2250/-रूपये से बढ़ाकर 3500/-रूपये प्रति माह; आंगनवाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 1500/-रूपये से बढ़ाकर 2250/-रूपये किया है । सरकार ने 01 अक्तूबर, 2018 से आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए 250/-रूपये प्रतिमाह का निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन भी शुरू किया है । साथ ही, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को पोषण अभियान के तहत आईसीडीएस-सीएएस का प्रयोग करने के लिए 500/-रूपये प्रतिमाह का भी भुगतान किया जाता है । इसके अतिरिक्त, कई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र भी इन कर्मियों को अपने स्वयं के संसाधनों से अनुलग्नक में दिए गए विवरण अनुसार मौद्रिक प्रोत्साहन दे रहे हैं ।

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/आंगनवाड़ी सहायिकाओं को निम्नलिखित बीमा स्कीमों के तहत सामाजिक सुरक्षा लाभ दिए जाते हैं :

i. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के तहत कवरेज में 18-50 वर्ष आयु वर्ग वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए 2.00 लाख रूपए का जीवन बीमा

ii. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत कवरेज में 18-59 वर्ष आयु वर्ग वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए 2.00 लाख रूपए/1.00 लाख रूपए का दुर्घटना बीमा

iii. 18-59 वर्ष आयु वर्ग वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए 30,000 रूपए के जीवन बीमा हेतु संशोधित आंगनवाड़ी कार्यकृत्री बीमा योजना (एकेबीवाई)

iv. पहचान की गई बीमारी के निदान पर 20,000/- रूपए का महिला गंभीर बीमारी लाभ

v. 9वीं से 12वीं कक्षा (आईटीआई पाठ्यक्रमों सहित) में पढ़ रहे उनके बच्चों को छात्रवृत्ति ।

*****

अनुलग्नक

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आंगनवाड़ी केन्द्र के बारे में श्री मारगनी भरत द्वारा दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4213 के उत्तर के भाग (ग) में संदर्भित विवरण

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपने संसाधनों से आगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/आंगनवाड़ी सहायिकाओं को दिया गया मौद्रिक प्रोत्साहन

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा दिया गया अतिरिक्त मानदेय (रूपयों में) | |
|---|---|---|---|
| | | आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां (एडब्ल्यूडब्लयू) | आंगनवाड़ी सहायिकाएं (एडब्ल्यूएच) |
| 1. | अंडमान और निकोबार | 3000 | 2500 |
| 2. | आंध्र प्रदेश | 1200 | 700 |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | शून्य | शून्य |
| 4. | असम | 2000 | 1000 |
| 5. | बिहार | 750 | 375 |
| 6. | चंडीगढ़ | 2000 | 1000 |
| 7. | छत्तीसगढ़ | 2000 | 1000 |
| 8. | दादरा नगर हवेली | 1000 | 600 |
| 9. | दमन और दीव | 1000 | 600 |
| 10. | दिल्ली | 6678 | 3339 |
| 11. | गोवा | 3062-11937* | 3000-6000* |
| 12. | गुजरात | 3300 | 1700 |
| 13. | हरयाणा | 7286-8429* | 4215 |
| 14. | हिमाचल प्रदेश | 1750 | 900 |
| 15. | जम्मू और कश्मीर | 600 | 340 |
| 16. | झारखंड | 1400 | 700 |
| 17. | कर्नाटक | 5000 | 2500 |
| 18. | केरल | 2000 | 2000 |
| 19. | लक्षद्वीप | 3000 | 2000 |
| 20. | मध्य प्रदेश | 7000 | 3500 |
| 21. | महाराष्ट्र | 2000 | 1000 |
| 22. | मणपुर | 100 | 50 |
| 23. | मेघालय | शून्य | शून्य |
| 24. | ओडशा | 1000 | 500 |
| 25. | पुडुचेरी | 600 | 300 |
| 26. | पंजाब | 2600 | 1300 |
| 27. | राजस्थान | 1724-1736* | 1065 |
| 28. | सक्किम | 2225 | 1500 |
| 29. | उत्तराखंड | 3000 | 1500 |
| 30. | पश्चिम बंगाल | 1300 | 1300 |
| 31. | उत्तर प्रदेश | 1000 | 500 |
| 32. | नगालैंड | शून्य | शून्य |
| 33. | मजोरम | 294-306* | 150 |
| 34. | तमलनाडु | 6750 (वेतनमान-2500, ग्रेड पे-500, एवं डीए-3750 सहित) | 4275 (वेतनमान-1500, ग्रेड पे-400, और डीए-2375 सहित) |
| 35. | तेलंगाना | 6000 | 3750 |
| 36. | त्रिपुरा | 2865 | 1924 |

*योग्यता और/या की गई सेवा के वर्षों पर आधारित